दिनांक–01.12.2018 को 12:30 बजे अपराहन् में हुई बोर्ड की 390वीं साधारण बैठक की कार्यवाही:–

निम्नलिखित उपस्थित सदस्य

1. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग –सह–अध्यक्ष बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना — अध्यक्ष

2. उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना — सदस्य

3. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना — सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य :–

4. राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, शेखपुरा, पटना

–: कार्यवाही :–

क्र0	प्रस्ताव	निर्णय
1	गत बैठक में लिये गये निर्णय को संपुष्ट करना।	संपुष्ट की गई।
2	खादी बोर्ड के योजना एवं गैर–योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में निम्न राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव। 2017–18 में प्रस्थापन मद में रू0–1,21,03,001.00 2018–19 में योजना मद में रू0–18,11,13,125.00 एवं 2019–20 में प्रस्तावित बजट रू0–21,61,46,068.00।	प्रस्ताव स्वीकृत।
3	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक महालेखाकार से वार्षिक लेखा अंकेक्षण कराने की स्वीकृति देना।	प्रस्ताव स्वीकृत।
4	बिहार राजय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक–01.01.2006 का छट्ठा वेतनमान लागू करने की स्वीकृति देना।	स्थापना समिति में रखा जाय।

Scanned by CamScanner

5	उपादान अधिनियम 1972 में समय–समय पर संशोधित अधिनियम के आलोक में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सेवकों को व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन् किया जाता है को उपादान भुगतान की सीमा 3.50 लाख बढ़ाकर 10.00 लाख करने की स्वीकृति देना।	स्थापना समिति में रखा जाय।
6	बोर्ड के विभागीय मंगलोर टाईल्स उत्पादन केन्द्र, सारामोहनपुर, दरभंगा (बंद) स्थित तालाब को मछली पालन हेतु बंदोबस्त की स्वीकृति देना।	ग्रान्ट थोर्टन इंडिया एल0एल0पी0, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर इसे बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाय।
7	श्री राजू कुमार, स्वीपर (दैनिक पारिश्रमिक) को स्वीपर के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति करने के संबंध में।	स्थापना समिति के निर्णय को संपुष्ट किया गया, लेकिन इस पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
8	श्री जयप्रकाश पंडित, प्रतिनियुक्त गाड़ी चालक को खादी बोर्ड में गाड़ी चालक के रिक्त पद पर समायोजन करने के संबंध में।	स्थापना समिति के निर्णय को संपुष्ट किया गया, लेकिन इस पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
9	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के लगातार सेवा तीन वर्षों या तीन वर्षों से अधिक हो चुका है। उनका सेवा संपुष्ट करने की स्वीकृति देना।	जाँचोपरान्त जिन कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही या कोई अन्य मामला दर्ज हो तो उनको छोड़कर शेष कर्मचारियों को सेवा संपुष्ट करने की स्वीकृति दी गई।
10	दिनांक–21.11.2018 को हुई स्थापना समिति की निर्णय की संपुष्टि करना।	स्थापना समिति के निर्णय को संपुष्टि की गई।
11	G.T. India LLP (PMA) को माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर का बकाया बिल भुगतान विभाग से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं हुआ है। तत्काल बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के आन्तरिक स्त्रोत से उपलब्ध भुगतान करने का प्रस्ताव पर इस मद में विभाग से राशि प्राप्त होने पर समायोजित किया जायेगा।	प्रस्ताव स्वीकृत।
12	अनुकम्पा के आधार पर सुनिता शर्मा, पति–स्व0 अनिल शर्मा, अनुसेवक, विनीता देवी, पति–स्व0 सुबोध कुमार ओझा, बिक्रीकार, ललिता देवी, पति–स्व0 बब्लू प्रसाद सक्सेना, बिक्रीकार एवं श्री रवि शंकर, पुत्र–स्व0 सुनीला कुमारी, बिक्रीकार को नियुक्ति की स्वीकृति देना।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिशा–निर्देश के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति जाँचोपरान्त योग्यता के आधार पर स्थापना समिति से निर्णय प्राप्त किया जाय।

Scanned by CamScanner

13	वर्ष 2018–19 में ज्ञान भवन, पटना में राष्ट्रीय स्तर का खादी प्रदर्शनी सह मेला का आयोजन एवं जिला स्तर पर खादी प्रदर्शनी के आयोजन की स्वीकृति का प्रस्ताव।	प्रस्ताव स्वीकृत।
	2. अध्यक्ष के अनुमति से अन्यान्य विषय	
14	उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए भागलपुर एवं घुंघरीटाड़, गया का बोर्ड का जमीन लीज पर देने की स्वीकृति देना।	जिला भागलपुर में बोर्ड के जमीन से 1000 वर्ग फीट एवं घंघरीटाड़, गया के जमीन से 1000 वर्ग फीट उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को लीज पर हस्तानांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
15	खादी बोर्ड द्वारा online बिक्री करने हेतु Amazon से एकरारनामा करने की स्वीकृति देना।	Amazon Website का MOU Sign. कराकर इसे 20 दिसम्बर, 2018 तक Launch करने की स्वीकृति दी गई।
16	मुंगेर में मधु प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना का प्रस्ताव।	मुंगेर जिला में मधु प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृति किया गया।
17	बिहार से बाहर बिहार इम्पोरियम खादी शो–रूम खोलने की स्वीकृति देना।	बिहार से बाहर खादी शो–रूम खोलने की स्वीकृति दी गई, जिसका नाम बिहार इम्पोरियम होगा, जिसमें खादी, हस्तशिल्प, हैण्डलूम एवं बिहार के प्रमुख उत्पाद की बिक्री होगी। कोच्चि में 4000 वर्ग फीट में खुलने वाला बिहार बोर्ड के शो–रूम का एकरारनामा दिनांक–20.12.2018 को PMA के माध्यम से कराया जाय।
18	बिहार हाट खोलने की स्वीकृति देना।	बिहार के अन्दर 9 प्रमंडल में बिहार हाट के नाम से हाट खोलने की स्वीकृति दी गई, जिसमें खादी का भी शो–रूम रहेगा। इसमें खादी, हस्तशिल्प, हैण्डलूम एवं बिहार के अन्य उत्पादों को Show case किया जायेगा। इसे उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा PPP मोड में खोला जायेगा। इसके लिए PMA को Standard Agreement तैयार करने हेतु निर्देश दिया गया।

Scanned by CamScanner

19	नई संस्था को चरखा एवं करघा उपलब्ध कराकर खादी संस्था/समितियों की संख्या में वृद्धि किया जाय।	नयी संस्था जिनका निबंधन सोसाईटी एक्ट/कम्पनी एक्ट/स्वयं सहायता उत्पादक समूह/ट्रस्ट में हो चुका है तथा जो खादी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, वैसे संस्था/समिति को चरखा एवं करघा उपलब्ध कराया जाय। शर्त यह होगा कि उन्हें बाद में KVIC में निबंधन कराना होगा।
20	जीविका समूह को प्रशिक्षणोंपरान्त चरखा एवं करघा उपलब्ध कराने की स्वीकृति देना।	प्रस्ताव स्वीकृत। जीविका के 4 समूहों को सूत कातने का बड़हरा, भोजपुर में प्रशिक्षण दिया गया है तथा अन्य समूहों को प्रशिक्षण दिया जाना है। बोर्ड में निर्णय लिया गया कि जीविका के जिन समूहों को सूत कातने एवं चरखा चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें चरखा एवं करघा उपलब्ध कराया जाय।
21	बैंक के माध्यम से कतिनों/बुनकरों के मजदूरी का भुगतान सभी खादी संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाय।	सभी खादी संस्था/समितियाँ कतिनों/बुनकरों को भुगतान की जाने वाली राशि बैंक खाता के माध्यम से चेक या RTGS द्वारा भुगतान करेंगी। इसके अतिरिक्त खादी संस्थाओं द्वारा कच्चा माल क्रय करने एवं अन्य क्रय का भुगतान भी बैंक खाता से चेक या RTGS के माध्यम से किया जाय। खादी संस्था/संघ 01 जनवरी, 2019 से निश्चित रूप से इस निर्णय का अनुपालन करेगें। इसके लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 08 दिसम्बर को बैठक रखेंगे।
22	खादी बोर्ड के PMA द्वारा बुनकरों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रस्ताव एवं बजट तैयार करने की स्वीकृति।	बुनकरों को 3 माह का प्रशिक्षण देने के लिए खादी बोर्ड के PMA बजट सहित एवं प्रस्ताव तैयार करेगें, जिसमें बुनकरों को कुशल एवं बुनाई के कार्य में दक्ष कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रस्ताव तत्काल भागलपुर, गया, मधुबनी, दरभंगा, बाँका एवं नालन्दा जिले के लिए तैयार किया जायेगा तथा इन जिलों में प्रशिक्षण प्रारूप तैयार किया जाय ताकि बुनकरों को बुनाई एवं डिजाईन के नए तकनीकी का ज्ञान हो सके।

Scanned by CamScanner

23	भागलपुर में कोकून बैंक की स्थापना करने की स्वीकृति देना।	PMA को भागलपुर में कोकून बैंक बनाने हेतु एक Feasibility Report बना कर जमा करने की स्वीकृति दी गई।
24	रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, भागलपुर द्वारा Common Facility Centre के बनाने की स्वीकृति देना।	रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, भागलपुर द्वारा खादी बोर्ड को जमीन उपलब्ध कराने के उपरान्त Common Facility Centre बनाने हेतु PMA को DPR तैयार करने की स्वीकृति दी गई।
25	गुणवत्ता जाँच केन्द्र की स्थापना करने की स्वीकृति देना।	खादी वस्त्रों की गुणवत्ता जाँच केन्द्र को पटना में स्थापित करने हेतु DPR तैयार करने के लिए PMA को जिम्मेवारी देने की स्वीकृति दी गई।
26	खादी संस्थाओं का निबंधन KVIC में कराने हेतु प्रचारित किया जाय।	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं KVIC में आवेदनों को और अधिक संख्या में आने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाय। विज्ञापन प्रारूप को KVIC को भी दिखा लिया जाय।

अगली बोर्ड की बैठक दिनांक–22.12.2018 को 12.30 बजे अपराह्न में रखा जाय।
अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रधान सचिव
–सह– अध्यक्ष

ज्ञापांक– 40/564 पटना, दिनांक– 05/12/2018

प्रतिलिपि :– उपरोक्त सभी सदस्यगण/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/G.T India LLP Patna/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र0)/सभी सहायक लेखा पदाधिकारी/व्यवस्थापक, खादी भवन, पटना/संबंधित प्रभारी सहायक/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

Scanned by CamScanner